प्रेस विज्ञप्ति
25.06.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने श्री आस्था फाउंडेशन फॉर एजुकेशन सोसायटी से संबंधित केस में आरोपी व्यक्तियों एवं उनसे संबद्ध संस्थाओं के विरुद्ध 23.06.2026 को पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के अंतर्गत कुल 12 परिसरों, जिनमें एक बैंक लॉकर भी शामिल है, पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी की कार्रवाई चौकसे समूह से जुड़े आवासीय परिसरों, कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, ट्रस्टों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में की गई।

ईडी ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल द्वारा श्री आस्था फाउंडेशन फॉर एजुकेशन सोसायटी की निधियों के बड़े पैमाने पर गबन एवं दुरुपयोग से संबंधित वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों से संबंधित मामले में जयनारायण चौकसे एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर के आधार पर यह जांच प्रारंभ की थी।

ईडी की जांच में यह सामने आया कि श्री आस्था फाउंडेशन फॉर एजुकेशन सोसायटी, जो कई शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सेवा संस्थानों का संचालन करती है, चौकसे परिवार के सदस्यों तथा उनके सहयोगियों के नियंत्रण में थी। जांच में पाया गया कि सोसायटी एवं उसके संस्थानों के नाम पर छात्रों से प्राप्त शुल्क, छात्रवृत्ति अनुदान तथा बैंकों से प्राप्त ऋणों की राशि को आरोपित व्यक्तियों के नियंत्रण वाले संबद्ध ट्रस्टों, कंपनियों एवं अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित कर दिया गया था।

तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद एवं जब्त किए गए। विभिन्न परिसरों से लगभग 3.97 करोड़ रुपये की नकदी बरामद कर जब्त की गई। इसके अतिरिक्त, मोबाइल फोन, डिजिटल उपकरण, ईआरपी एवं टैली डेटा, वित्तीय अभिलेख, संपत्ति संबंधी दस्तावेज तथा अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए। तलाशी के दौरान 3.45 करोड़ रुपये मूल्य के स्वर्ण आभूषण भी बरामद कर जब्त किए गए। इसके अलावा, अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज भी तलाशी की कार्यवाही के दौरान प्राप्त हुए।

मामले में आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।